प्रकरण में दिनांक 11–02–2017 को लोक अदालत मे राजीनामा हो चुका है। अतः प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाता है। अभियुक्त को बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है।